

**मांग संख्या 80**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 4000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 3**

जिलों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु तरल नत्रजन एवं हिमीकृत वीर्य क्रय व परिवहन व्यय की पूर्ति हेतु राशि ` 96.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 4**

मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों को अनुदान मद में राशि ` 47.23 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 47,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान मद में राशि ` 19.57 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 19,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 6**

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना अंतर्गत अधोसंरचना अनुदान हेतु राशि ` 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना अंतर्गत अधोसंरचना अनुदान हेतु राशि ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

ग्राम विकास योजना अंतर्गत अधोसंरचना अनुदान हेतु राशि ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना अंतर्गत अधोसंरचना अनुदान हेतु राशि ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि ` 49.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 49,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद कर्मांक 11**

पंचायत सचिवों को वेतन भत्ते हेतु अतिरिक्त राशि ₹ 1458.57 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,58,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद कर्मांक 12**

मलवरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजनांतर्गत मजदूरी मद में राशि ₹ 7.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।